प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं **-206/2019**

1 .कु. शिखा मेशराम पिता स्वर्गीय युवराज मेशरा 19 वर्ष

2. यश मेशराम पिता स्वर्गीय युवराज मेशराम 15 वर्ष, नाबालिगःउनके विधिक संरक्षक अपीलार्थी संख्या 3 के द्वारा

3.श्रीमती. लीला मेश्राम पति शामराव मेश्राम, उम्र लगभग 69 वर्ष, सभी निवासी– मकान नंबर बी/101, रोड नंबर 13, स्मृति नगर, भिलाई, तहसील और जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़।

––– अपीलकर्ता

बनाम

1.आलोक कुमार सिंह पिता स्व.टी.के. सिंह निवासी– प्रगति नगर, रिसाली, प्लॉट नंबर 09, शांतिकुंज, भिलाई, जिला– दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2.फ्यूचर जनरल इंडिया लिमिटेड के द्वारा– कॉर्पोरेट/पंजीकृत कार्यालय, 001 डेल्टा प्लाजा, 414, वीर सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई, महाराष्ट्र।फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दावा प्रबंधक के द्वारा, दुकान संख्या 3, दूसरी मंजिल, मारुति बिजनेस पार्क, धुप्पड़ पेट्रोल पंप के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़।

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्तागण हेतु :श्री सुधांशु कुमार सिंह ,अधिवक्ता तथा श्री बी. पी. सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :श्री सौरभ गुप्ता, अधिवक्ता तथा श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

18/06/2025

1. दावेदारों/अपीलकर्ताओं ने दावा प्रकरण क्रमांक 1453/2012 में पारित दिनांक 21.08.2018 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसके तहत विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग, जिला – दुर्ग (छ.ग.) ने सड़क

दुर्घटना में मृत युवराज मेश्राम की मृत्यु के विरुद्ध अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा दायर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए दावा आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. इस अपील के निराकर के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें युवराज मेश्राम की मृत्यु के कारण विभिन्न मदों के तहत कुल 95,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया, जिसमें तर्क दिया गया है कि 01.01.2012 को युवराज मेश्राम अपनी पत्नी कल्पना मेश्राम और अपने बच्चों के साथ जगदलपुर से अपनी कार संख्या सी.जी.–07–एमए–3416 से भिलाई लौट रहे थे, जब वे खल्लारी पुल गुंडरदेही के पास पहुंचे, तो कार का स्टीयरिंग फेल होने के कारण उनकी दुर्घटना हो गई।दुर्घटना में कल्पना मेश्राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई और युवराज मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गए।उन्हें तुरंत सेक्टर–9 अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय मृतक युवराज मेश्राम अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे और उन्हें 6,42,516/– रुपये वार्षिक वेतन मिलता था।

3. अनावेदकों/उत्तरवादियों ने दावा आवेदन पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया और दावे का विरोध किया। विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, दावेदारों/अपीलकर्ताओं के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दुर्घटना आक्षेपित वाहन के चालक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों के साक्ष्य पर अविश्वास करके गलती की है तथा साक्षी ने कहा कि मृतक युवराज मेश्राम द्वारा चलाई जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और स्टीयरिंग में यांत्रिक खराबी के कारण पलट गई।यह तर्क दिया गया है कि दावा आवेदन में दावेदारों ने विशेष रूप से यह दलील दी है कि कार यांत्रिक दोष, अर्थात् स्टीयरिंग फेल होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई।पुलिस के निर्देश पर मैकेनिक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जाँच की गई और मैकेनिक की वाहन जाँच रिपोर्ट के अनुसार, उसने स्टीयरिंग फेल पाया।वाहन जाँच रिपोर्ट प्र.पी–10 के रूप में दायर की गई है। मैकेनिक जगदीप सिंह की AW–2 के रूप में जांच की गई, जिन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि वाहन की जांच करने पर उन्होंने पाया कि दुर्घटना के कारण वाहन को हुई अन्य क्षति के अलावा वाहन का स्टीयरिंग भी फेल हो गया था।इस साक्षी से अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई और जगदीप सिंह (AW-2) के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे यह संकेत मिले कि दुर्घटना की प्रकृति के कारण भी स्टीयरिंग फेल हो सकता है।

5. उत्तरवादी संख्या 2/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि दुर्घटना , दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि साक्षी जगदीप सिंह (एडब्ल्यू–2) (मैकेनिक) ने विद्वान

दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि दुर्घटना करने वाले वाहन का स्टीयरिंग कब से फेल हुआ और इसलिए न्यायाधिकरण ने जगदीप सिंह (एडब्ल्यू–2) के साक्ष्य पर अविश्वास करना उचित ही किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है

7. निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने विवाद्यक संख्या 2 तैयार किया है कि क्या दुर्घटना मृतक युवराज मेश्राम की स्वयं की लापरवाही का परिणाम थी और विवाद्यक संख्या 2 का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया है।विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अनावेदक संख्या 2/बीमा कंपनी के उत्तर में दिए गए तर्कों पर विचार किया कि दुर्घटना मृतक/चालक की स्वयं की लापरवाही का परिणाम है और पुलिस द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया है, जिसने दुर्घटना के अपराध की जांच की थी और उल्लेख किया था कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्योंकि चालक ने इसे तेज गति से चलाया था और आगे जगदीप सिंह (एडब्ल्यू–2) (मैकेनिक) के साक्ष्य पर विचार किया और उल्लेख किया कि यह साक्षी यह बताने में असमर्थ है कि वाहन की जांच से कितने दिन पहले स्टीयरिंग फेल हो गया था, आगे यह कि कार का स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग था और यह अंदर से लॉक हो गया था और आगे यह कि इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि दुर्घटना से पहले या दुर्घटना के बाद स्टीयरिंग लॉक हो गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जगदीप (एडब्ल्यू–2) के बयान के अवलोकन से पता चलता है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आक्षेपित वाहन संख्या सी.जी.–07–एमए 3416 की परिक्षा करने पर उसने पाया कि वाहन का स्टीयरिंग फेल हो गया था।इस साक्षी से, न तो न्यायाधिकरण द्वारा और न ही गैर–आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा, दुर्घटना से पहले या दुर्घटना के बाद स्टीयरिंग फेल होने के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया है।अभिलेख पर उपलब्ध ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में, इस न्यायालय की राय में, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है कि मैकेनिक के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना स्टीयरिंग लॉक होने के कारण हुई थी और उसने दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि दुर्घटना के समय वाहन तेज गति से चल रहा था।

9. नन्हू सिंह बनाम जहीर के मामले में, 2005 (1) डब्ल्यूएन 91 में रिपोर्ट किया गया,मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि "उपर्युक्त के तहत, हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया निष्कर्ष गलत, निराधार है और एक तरह से कलह का मार्ग प्रशस्त करता है।न्यायाधिकरण ने एफआईआर पर भरोसा करके त्रुटि की थी, मानो वह सत्य हो या दूसरे शब्दों में कहें तो मानो वह आइंस्टीन के सिद्धांत के समान हो।उपर्युक्त के तहत, हम उपर्युक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं और तदनुसार इसे खारिज करते हैं।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मंगला राम बनाम ओरिएंटलइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2018) 5 एससीसी656** में रिपोर्ट किए गए मामले में यह टिप्पणी की है कि दावे के मामले का निर्णय करने के लिए केवल

दावे की कार्यवाही के तर्क और साक्ष्य पर ही विचार किया जाना चाहिए, न कि दाण्डिक मामले के दस्तावेजों पर। इस मामले में भी, पुलिस द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान विधि के अनुसार साबित नहीं हुआ है, इसलिए विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान की सामग्री पर भरोसा करने में गलती की है, जो दाण्डिक प्रकरण में आरोप–पत्र का हिस्सा है।

11. दावा आवेदन में दावेदारों ने दलील दी है कि दुर्घटना कैसे हुई, यानी दुर्घटनाग्रस्त वाहन की यांत्रिक खराबी के कारण, और उस दलील के समर्थन में उन्होंने मैकेनिक से भी पूछताछ की थी, जिसने पहले पुलिस अधिकारियों के कहने पर वाहन की जांच की थी और उन्होंने विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक्स.पी–10 सी के रूप में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वाहन की जांच करने पर उन्होंने पाया कि वाहन का स्टीयरिंग फेल (लॉक) था।

12. अभिलेख पर उपलब्ध उपर्युक्त साक्ष्य के मद्देनजर कि वाहन के स्टीयरिंग में यांत्रिक विफलता थी, इस न्यायालय की राय में, विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया निष्कर्ष कि दुर्घटना अपराधी वाहन के चालक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई, त्रुटिपूर्ण है और विधि की दृष्टि में मान्य योग्य नहीं है।तदनुसार, उक्त निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित वाहन की दुर्घटना आक्षेपित वाहन के स्टीयरिंग की यांत्रिक विफलता के कारण हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. चूंकि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति का आकलन नहीं किया है, इसलिए मामला केवल अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावेदारों को दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने के लिए विद्वान दावा न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है।

14. उपरोक्त चर्चाओं के लिए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और मामला विद्वान दावा न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है।पक्षकारों को 4 अगस्त, 2025 को विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

15. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह दावा प्रकरण का अभिलेख तुरंत वापस भेजे।

सही/–
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur